Ex.P.-486

कथन – श्रीमती संध्या ठाकुर

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	श्रीमती संध्या ठाकुर पति संतोष कुमार ठाकुर
उम्र	–	35 वर्ष
पता	–	हनुमान नगर दुर्गा मंदिर के पीछे रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0) मो0–88179–03336
व्यवसाय	–	कनिष्ठ तकनीकी सहायक नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर (छ0ग0)

––00––

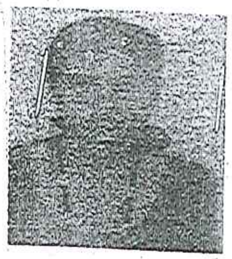

मैं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर पदस्थ हूं। इस कक्ष के प्रभारी संदीप अग्रवाल कंपनी सचिव है। हमारे कक्ष में नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा उपार्जन किये गये खाद्यान्न के क्वालिटी कन्ट्रोल के संबंध में की गई कार्यवाही का लेखा–जोखा एवं फाईल रखा जाता है। मुख्यालय से केन्द्रों में जाकर क्वालिटी कन्ट्रोल चेक करने का कार्य श्री डी.एस. कुशवाहा सविदा सहायक प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। श्री डी.एस. कुशवाहा द्वारा रायपुर संभाग (रायपुर एवं बस्तर राजस्व संभाग) एवं आर.पी. पाठक के द्वारा बिलासपुर संभाग (बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग) का क्वालिटी निरीक्षण किया जाता है। उनके द्वारा निरीक्षण के समय कुछ स्टेक के चावल की क्वालिटी का परीक्षण मौके पर ही किया जाता है और उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है तथा यदि अमानक स्तर का चावल अथवा अन्य कमिया पाई जाती है तो संबंधित जिला प्रबंधक को अमानक स्तर के चावल की रिप्लेसमेंट करने हेतु मौके पर ही निर्देशित करते हुए पत्र दे दिया जाता है। कुछ स्टेक के चावल का सेम्पल मुख्यालय में परीक्षण हेतु लाया जाता है। मुख्यालय में चावल की क्वालिटी टेस्ट मेरे द्वारा कर उसकी रिपोर्ट संबंधित सहायक प्रबंधक क्वालिटी कन्ट्रोल को दे दिया जाता है। उनके द्वारा अपने निरीक्षण रिपोर्ट नोटशीट के माध्यम से कंपनी सचिव को प्रस्तुत की जाती है मुख्यालय में चावल का परीक्षण उपरान्त कंपनी सचिव द्वारा निरीक्षण में पाई गई अनिमिताओ को दूर करने हेतु संबंधित जिला प्रबंधको एवं अधिकारियों को निर्देश/कारण बाताओ नोटिस जारी किया जाता है। जिला प्रबंधको द्वारा अनिमिताओ को दूर करने संबंधि जानकारी/कारण बताओ नोटिस का उत्तर मुख्यालय में प्रस्तुत किया जाता है।

आज मुझे ब्यूरो कार्यालय में नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर के क्वालिटी कक्ष में संधारित की जाने वाली दिशा–निर्देश नस्ती, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 की निरीक्षण नस्तियां तथा रिप्लेसमेंट नस्तियां दिखाई गई। नस्तियों का

अवलोकन कर पूछे जाने पर बता रही हूं कि बिलासपुर संभाग चावल निरीक्षण नस्ती क्यू.सी./003/वर्ष 2013–14 की नस्ती की नोटशीट :–

(01) नोटशीट कमांक 31 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 24.06.2014 से 28.06.2014 तक जिला रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर एवं कोरिया के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 22 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जिसमें 21 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 01 सेम्पल अमानक पाया गया था। अमानक पाये गये सेम्पल के एनालेसिस रिपोर्ट दिनांक 01.07.2014 के अनुसार करगी रोड जिला बिलासपुर के गोदाम नं.–15, स्टेक नं.–01, लाट नं.–9085 के कुल 540 बोरी चांवल में डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक श्री आर.पी. पाठक द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम दिनांक 01.07.2014 को प्रस्तुत किया गया था। कंपनी सचिव द्वारा अमानक स्तर के चांवल के रिप्लेसमेंट हेतु जिला प्रबंधक को पत्र भेजा जाना प्रस्तावित किया गया था। प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के अनुमोदन के पश्चात जिला प्रबंधक बिलासपुर को पत्र कमांक क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/247 दिनांक 04.07.2014 भेजा गया था। अमानक स्तर के चांवल पास करने के संबध में कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के संबंध में कोई निर्देश नही थे, अतः संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी नही किया गया। मुख्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.07.2014 के संबंध में केन्द्र प्रभारी करगी रोड का पत्र कमांक 13 दिनांक 21.07.2014 श्री के.के. यदू जिला प्रबंधक बिलासपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसमें केन्द्र प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया था कि चांवल रिप्लेसमेंट हेतु मुख्यालय का उक्त पत्र प्राप्त होने के पूर्व ही FIFO के अंतर्गत उसके द्वारा दिनांक 03.07.2014 से 05.07.2014 के मध्य उक्त चांवल का भुगतान (वितरण) उचित मूल्य दुकानों में कर दिया गया है अतः रिप्लेसमेंट संभव नही है। उक्त वितरित चांवल के संबंध में किसी भी उचित मूल्य के दुकान से कोई शिकायत प्राप्त नही हुई हैं, एवं चांवल रिप्लेसमेंट की कार्यवाही निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। केन्द्र प्रभारी के पत्र दिनांक 21.07.2014 के संबंध में कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल द्वारा केन्द्र प्रभारी से चार बिन्दुओं पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु पत्र कमांक क.स./2014/322 दिनांक 30.07.2014 भेजा गया था। इस पत्र के संबंध में केन्द्र प्रभारी करगी रोड द्वारा पत्र दिनांक 09.09.2014 के माध्यम से चार बिन्दुओं की जानकारी उपलब्ध करायी गई थी। इस पत्र को कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के द्वारा फाईल करने हेतु निर्देशित किया गया था अतः नोटशीट में नही लिया गया है।

(02) नोटशीट कमांक 33 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 02.07.2014 से 05.07.2014 तक जिला अंबिकापुर, सूरजपुर, जशपुर और रायगढ़ के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 11 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जिसमें सभी 11 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। श्री पाठक द्वारा फरसाबहार गोदाम के चावल का

परीक्षण मौके पर ही किया गया था जो अमानक पाया गया था। श्री पाठक द्वारा अमानक पाये गये चावल के रिप्लेसमेंट हेतु मौके पर ही पत्र दिनांक 04.07.2014 कनिष्ठ तकनीकी सहायक मुकेश कुमार पत्र दिया गया था। श्री पाठक के निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक के संबंध में जिला प्रबंधक जशपुर को चावल रिप्लेस करने हेतु मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक– क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/273 रायपुर, दिनांक 10.07.2014 द्वारा निर्देशित किया गया तथा मुकेश कुमार महेश को पत्र क्रमांक क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/274 रायपुर, दिनांक 10.07.2014 द्वारा चेतावनी दी गई थी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक मुकेश कुमार महेश द्वारा दिनांक 25.07.2014 को अमानक स्तर के लॉट रिप्लेस कर इसकी सूचना

दी गई जो दिनांक 13.08.2014 को प्राप्तु हुई थी।

(03) नोटशीट क्रमांक 36 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 08.07.2014 से 11.07.2014 तक जिला बिलासपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली एवं रायगढ़ के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 16 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

(04) नोटशीट क्रमांक 38 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 17.07.2014 से 18.07.2014 तक जिला कोरबा एवं कोरिया के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 07 सेम्पल एवं चने के 03 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, चावल एवं चने के सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

(05) नोटशीट क्रमांक 40 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 22.07.2014 से 25.07.2014 तक जिला रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली तथा जशपुर के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 11 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

(06) नोटशीट क्रमांक 42 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 31.07.2014 से 07.08.2014 तक जिला कवर्धा, बिलासपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर जशपुर एवं रायगढ़ के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 14 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। श्री पाठक द्वारा लोहर सिंह–II गोदाम के चावल का परीक्षण मौके पर ही क़िया गया था जिसमें गोदाम नंबर 12, स्टेक नंबर–09, लॉट नंबर–11639 में ब्रोकन 27.5 प्रतिशत होने से अमानक पाया गया था। श्री पाठक द्वारा अमानक पाये गये चावल के रिप्लेसमेंट हेतु मौके पर ही पत्र दिनांक 07.08.2014 कनिष्ठ तकनीकी सहायक सूर्यकांत वर्मा को पत्र दिया गया था तथा इसकी प्रतिलिपि जिला प्रबंधक रायगढ़ को दिया गया था। कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल द्वारा अमानक स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक रायगढ़ को पत्र भेजा जाना निर्देशित करने

पर चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक को पत्र क्रमांक– क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/349 रायपुर, दिनांक 12.08.2014 भेजा गया था। संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक को कारण बताओं नोटिस जारी करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये जाने से कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया था। जिला प्रबंधक रायगढ़ द्वारा अमानक लॉट रिप्लेस करने की सूचना पत्र क्रमांक– क्यू.सी./लॉट रिप्ले./2014/1586 दिनांक 14.11.2014 के द्वारा दी गई थी, जिसके अनुसार अमानक चावल को दिनांक 10.11.2014 को रिप्लेस किया गया है।

(07) नोटशीट क्रमांक 44 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 24.09.2014 से 27.09.2014 तक जिला मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर एवं जांजगीर चांपा के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 14 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

(08) नोटशीट क्रमांक 46 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 13.10.2014 से 14.10.2014 तक जिला कोरबा, कोरिया एवं बिलासपुर के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 07 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जिनमें से 05 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 02 सेम्पल अमानक स्तर के पाये गये थे। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 20.10.2014 के अनुसार श्री आर.पी. पाठक द्वारा जिला कोरिया और कोरबा के संग्रहण केन्द्र से लाये गये सेम्पल क्रमशः चिरमिरी के लॉट नंबर–1058 तथा कोरबा के गोदाम/स्टेक नंबर 3/1 एवं 3/4, लॉट नंबर 9023 के 487 बोरे चावल में ब्रोकन प्रतिशत एवं डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक ए.एम.क्यू.सी. श्री आर.पी. पाठक द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट दिनांक 20.10.2014 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कंपनी सचिव द्वारा लॉट रिप्लेसमेंट हेतु जिला प्रबंधक कोरिया एवं कोरबा को पत्र लिखा जाना प्रस्तावित करते हुए नस्ती दिनांक 21.10.2014 को तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक चावल के रिप्लेसमेंट हेतु जिला प्रबंधक कोरिया और कोरबा को क्रमशः पत्र क्रमांक– क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/498 रायपुर, दिनांक 21.10.2014 तथा क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/499 रायपुर, दिनांक 21.10.2014 जारी किया गया था एवं संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक कोरबा संजू कावड़े एवं कोरिया देवेन्द्र कुमार शाक्या को कारण बताओं नोटिस क्रमशः क्रमांक क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14 /501 रायपुर,दिनांक 27.10.2014 तथा क्यू.सी./रि.न./चां.नि.बी./2013–14/502 रायपुर, दिनांक 27.10.2014 जारी किया गया था। जिला प्रबंधको से रिप्लेसमेंट की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर स्मरण पत्र क्रमांक– क्यू.सी./रि.न./2014–15/561 रायपुर, दिनांक 10.11.2014 जारी किया गया था। स्मरण पत्र के संदर्भ में जिला प्रबंधक कोरिया द्वारा अमानक स्तर का चावल को रिप्लेस कराने की सूचना अपने पत्र क्रमांक– क्यू.सी./रि.ना./2014/480 दिनांक 17.11.2014 के माध्यम से दी गई थी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक संजू कावड़े का स्पष्टीकरण दिनांक

30.10.2014 जिला प्रबंधक कोरबा के माध्यम से मुख्यालय में प्राप्त हुआ था जिसमें संजू कावड़े द्वारा चावल टुटने के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कार्य की अधिकता से चूक होना बताया गया है। जिला प्रबंधक कोरबा से अमानक स्तर के चावल रिप्लेसमेंट की सूचना तथा देवेन्द्र कुमार शाक्या कनिष्ठ तकनीकी सहायक का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में कंपनी सचिव या प्रबंध संचालक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(09) नोटशीट कमांक 48 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 21, 22 एवं 27 से 31.10.2014 तथा 01.11.2014 को जिला बिलासपुर, कर्वधा, रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर चांपा, जशपुर, सूरजपुर एवं अम्बिकापुर का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्र के चांवल के 26 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जिसमें 22 सेम्पल मानक स्तर के तथा 04 सेम्पल अमानक स्तर के पाये गये थे । अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 07.11.2014 के अनुसार श्री आर.पी. पाठक द्वारा जिला बिलासपुर, कर्वधा, रायगढ़, अंबिकापुर के संग्रहण केन्द्र से लाये गये सेम्पल क्रमशः जयराम नगर के गोदाम नंबर–18 स्टेक नं.–03 के 3240 बोरे चावल डेमेज्ड एवं डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया। पंडरिया के गोदाम नं.–10 के स्टेक नं.–03 के 1080 बोरे चावल में ब्रोकन का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से अधिक होना पाया गया। अंबिकापुर के गोदाम नं.–22 स्टेक नं.–02 में रखे 3240 बोरे चावल में ब्रोकन का प्रतिशत निर्धारित प्रतिशत से अधिक होना पाया गया। इसी प्रकार लोहार सिंग II के गोदाम नं.–08 के स्टेक नं.–05 का एक लॉट नं.–18022 डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक ए.एम.क्यू.सी. श्री आर.पी. पाठक द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।

कंपनी सचिव द्वारा मुख्यालय में परीक्षण करने पर अमानक स्तर के पाये गये चावल को रिप्लेस कराये जाने एवं सक्ती/चांपा केन्द्रों पर विश्लेषण में अमानक स्तर के पाये गये चावल रिप्लेस कराये जाने के निर्देश देने एवं संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना दिनांक 10.11.2014 को प्रस्तावित किया गया है। प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा द्वारा कारण बाताओं नोटिस जारी किया जाना अनुमोदित किया गया था। इसके पश्चात् कंपनी सचिव द्वारा जिला प्रबंधक बिलासपुर, कर्वधा, अंबिकापुर एवं रायगढ़ को अमानक स्तर के चावल रिप्लेस कर अवगत कराने हेतु पत्र कमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2014–15/568 रायपुर, दिनांक 11.11.2014 भेजा गया था। जिला प्रबंधक बिलासपुर द्वारा अपने पत्र कमांक–1706 दिनांक 03.01.2015 के माध्यम से अमानक चावल को दिनांक 30.12.2014 को रिप्लेस कर दिये जाने से अवगत कराया गया था। शेष जिला प्रबंधको से चावल रिप्लेस करने की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अमानक स्तर के चावल स्वीकार करने के संबंध में जिला कर्वधा, बिलासपुर, रायगढ़ एवं सरगुजा के संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायको से पत्र कमांक क्रमशः 569, 570, 572 एवं 572 दिनांक 11.11.2014 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। मुख्यालय के पत्र कमांक–570 दिनांक 11.11.2014 के संबंध में मनोज

जसवानी कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिला बिलासपुर का उत्तर दिनांक 19.11.2014 प्राप्त हुआ था। प्राप्त स्पष्टीकरण कंपनी सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, कंपनी सचिव द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के संबंध में किसी प्रकार का निर्देश नहीं दिया गया था। अन्य कनिष्ठ तकनीकी सहायकों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है और न ही मुख्यालय द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही की गई है।

(10) **बिलासपुर संभाग चावल निरीक्षण नस्ती/क्य.सी./001/वर्ष 2014–15 के** नोटशीट कमांक 01 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 05.01.2015 से 07.01.2015 तक जिला रायगढ़, जांजगीर चांपा, अंबिकापुर एवं जशपुर के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 13 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जिसमें से 12 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 01 सेम्पल अमानक स्तर का पाया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 08.01.2015 के अनुसार श्री आर.पी. पाठक द्वारा जिला अंबिकापुर जिले के सीतापुर संग्रहण केन्द्र से लाये गये सेम्पल गोदाम नंबर–07 स्टेक नं.–06 के 3240 बोरे चावल डिहस्क मापदंड से ज्यादा 16 प्रतिशत अधिक पाया गया। श्री पाठक द्वारा निरीक्षण के दौरान जिला जांजगीर चांपा के डभरा केन्द्र के गोदाम नंबर–06, स्टेक नंबर–05 लॉट नंबर–16136, 21461 एवं 21463 कुल बोरो की संख्या–1176 के सेम्पल विश्लेषण पर अमानक स्तर का पाया गया। चावल में ब्रोकन तथा डिस्कलर निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया था। श्री पाठक द्वारा अमानक स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु मनीष विनचुरकर, कनिष्ठ तकनीकी सहायक डभरा को निर्देशित करते हुए पत्र दिनांक 06.01.2015 जारी किया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि जिला प्रबंधक जांजगीर चांपा को दिया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक श्री आर.पी. पाठक द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट दिनांक 08.01.2015 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल द्वारा सीतापुर में पाये अमानक स्तर के पाये गये चावल को रिप्लेस कराये जाने एवं संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित करते हुए नस्ती दिनांक 12.01.2015 को प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक स्तर का चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक अंबिकापुर को पत्र कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2014–15/690 रायपुर, दिनांक 13.01.2015 तथा संबंधित क्य.आई. दिलेश्वर राम तिर्की को कारण बताओं नोटिस कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2014–15/691 रायपुर, दिनांक 13.01.2015 जारी किया गया। जिला प्रबंधक से चावल रिप्लेस करने की सूचना तथा दिलेश्वर राम का स्पष्टीकरण अब तक नान मुख्यालय में प्राप्त नहीं हुआ हैं। कंपनी सचिव द्वारा इस संबंध में संबंधितों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(11) नोटशीट कमांक 03 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 19.01.2015 से 23.01.2015 तक जिला मुंगेली, कवर्धा, बिलासपुर एवं कोरबा के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 17 सेम्पल प्रस्तुत किया गया

था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

(12) नोटशीट कमांक 05 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 27.01.2015 से 30.01.2015 तक जिला अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर एवं कोरिया के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 12 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। श्री पाठक द्वारा निरीक्षण के दौरान जिला कोरिया के मनेन्द्रगढ़ केन्द्र के गोदाम नंबर–35, स्टेक नंबर–09, लॉट नंबर–203 एवं 858 कुल बोरो की संख्या–540 का सेम्पल विश्लेषण पर अमानक स्तर का पाया गया। चावल में ब्रोकन का प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया था। श्री पाठक द्वारा अमानक स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु कनिष्ठ तकनीकी सहायक मनेन्द्रगढ़ को निर्देशित करते हुए पत्र दिनांक 29.01.2015 जारी किया गया तथा पत्र की प्रतिलिपि जिला प्रबंधक कोरिया को दिया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक श्री आर.पी. पाठक द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट दिनांक 02.02.2015 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था। कंपनी सचिव श्री अग्रवाल ने अमानक चावल को रिप्लेस करने हेतु श्री पाठक द्वारा दिये गये पत्र का उल्लेख करते हुए संबंधित क्य.आई. को कारण बताओं नोटिस जारी करना प्रस्तावित करते हुए नस्ती दिनांक 02.02.2015 को प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। श्री टुटेजा के अनुमोदन के पश्चात् श्री देवेन्द्र कुमार शाक्या, कनिष्ठ तकनीकी सहायक जिला कोरिया से कारण बताओं नोटिस कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.बि./2014–15/727 रायपुर, दिनांक 03.02.2015 जारी किया गया। जिला प्रबंधक कोरिया से चावल रिप्लेसमेंट की जानकारी तथा देवेन्द्र कुमार शाक्या का स्पष्टीकरण अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(13) नोटशीट कमांक 07 के अनुसार श्री पाठक द्वारा दिनांक 03.02.2015 एवं 04.02.2015 को जिला जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चांवल के 08 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

रायपुर संभाग चावल निरीक्षण नस्ती क्यू.सी./002/वर्ष 2013–14 की नस्ती की नोटशीट :–

(01) नोटशीट कमांक 13 के अनुसार श्री डी.एस. कुशवाहा, सहायक प्रबंधक क्वालिटी कन्ट्रोल द्वारा दिनांक 25.06.2014 से दिनांक 28.06.2014 तक जिला महासमुंद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी एवं राजनांदगांव के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 17 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, चावल के 16 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 01 सेम्पल अमानक पाया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में

किया गया था जिसमें 16 सेम्पल मानक स्तर के तथा 01 सेम्पल अमानक स्तर के पाया गया था। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 02.07.2014 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा जिला बलौदा बाजार के संग्रहण केन्द्र बिलाईगढ़ के गोदाम नंबर–06 स्टेक नं.–02 का सेम्पल में ब्रोकन का प्रतिशत 28.00 पाया गया जो निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया। श्री कुशवाहा द्वारा इस स्टेक के चावल का विश्लेषण मौके पर ही दिनांक 26.06.2014 को किया गया था और अमानक पाये जाने पर रिप्लेसमेंट हेतु निर्देशित करते हुए जिला प्रबंधक बलौदा बाजार एवं केन्द्र प्रभारी/तकनीकी सहायक को पत्र दिनांक 26.06.2014 दिया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक श्री कुशवाहा द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से दिनांक 02.07.2014 को प्रस्तुत किया गया। कंपनी सचिव द्वारा अमानक चावल रिप्लेस कराये जाने हेतु पत्र भेजा जाना प्रस्तावित करते हुए प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक बलौदा बाजार को पत्र कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/242 रायपुर, दिनांक 03.07.2014 भेजा गया था। संबंधित क्यू.आई. के संबंध में कोई टीप नहीं दी गई थी, अतः क्यू.आई. को कारण बताओ नोटिस नहीं भेजा गया। जिला प्रबंधक बलौदा बाजार द्वारा चावल रिप्लेस करने की सूचना अपने पत्र कमांक– सा.वि.प्र./2014–15/362 दिनांक 02.08.2014 के द्वारा दी गई थी।

(02) नोटशीट कमांक 14 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 03.07.2014 से दिनांक 05.07.2014 तक जिला गरियाबंद, बेमेतरा, रायपुर एवं दुर्ग के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 11 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, चावल के 07 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 04 सेम्पल अमानक पाया गया था। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 08.07.2014 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा बेमेतरा के गोदाम नंबर–04 स्टेक नं.–07, लॉट नंबर–2420 तथा स्टेक नं.–10, लॉट नं.–2334 के सेम्पल में ब्रोकन का प्रतिशत 28.00 पाया गया जो निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया। साजा (राखीजोबा) जिला बेमेतरा के गोदाम नं.–04, स्टेक नं.–12 के सेम्पल मे ब्रोकन का प्रतिशत 30.00 पाया गया जो निर्धारित मात्रा से अधिक होने स अमानक पाया गया। इसी प्रकार मैनपुर जिला गरियाबंद के गोदाम नं.–01, स्टेक नं.–03, लॉट नं. 2644 के सेम्पल में डिस्कलर का प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया था। श्री कुशवाहा द्वारा बेमेतरा एवं साजा के इन्हीं स्टेक और लॉट के चावल का विश्लेषण मौके पर किया गया था एवं चावल अमानक पाये जाने से रिप्लेसमेंट हेतु निर्देशित करते हुए संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं जिला प्रबंधक बेमेतरा को पत्र दिनांक–04.07.2014 दिया गया था। निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक श्री कुशवाहा द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से दिनांक 08.07.2014 को प्रस्तुत किया गया। कंपनी सचिव द्वारा स्टाक रिप्लेसमेंट हेतु पत्र जारी कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओं नोटिस/चेतावनी पत्र जारी करना प्रस्तावित करते

हुए नस्ती प्रबंध संचालक श्री टुटेजा के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् जिला गरियाबंद के कनिष्ठ तकनीकी सहायक सुरेश तिवारी को पत्र कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/ 269 रायपुर, दिनांक 10.07.2014 एवं बेमेतरा जिला के कनिष्ठ तकनीकी सहायक, महेश्वर लाल सोनवानी को पत्र कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/272 रायपुर, दिनांक 10.07.2014 द्वारा चेतावनी दी गई थी। पत्र की प्रति जिला प्रबंधक गरियाबंद एवं बेमेतरा को दी गई थी तथा इसी पत्र के माध्यम से जिला प्रबंधक बेमेतरा को साजा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक का नाम बताने हेतु निर्देशित किया गया था ताकि संबंधित को चेतावनी जारी किया जा सके। जिला प्रबंधक गरियाबंद द्वारा अमानक चावल के रिप्लेसमेंट की जानकारी पत्र कमांक– उपार्जन/2014–15/818 दिनांक 21.08.2014 के द्वारा दी गई थी। जिला प्रबंधक बेमेतरा से रिप्लेसमेंट की जानकारी प्राप्त नहीं होने पर स्मरण पत्र कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/561 रायपुर, दिनांक 10.11.2014 दिया गया था। जिला प्रबंधक बेमेतरा द्वारा अमानक चावल के लॉट एवं स्टेक रिप्लेस करने की जानकारी अपने पत्र कमांक– उपार्जन/2014–15/689 दिनांक 18.11.2014 के द्वारा दी गई थी। किन्तु साजा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक के नाम से अवगत् नहीं कराया गया जिससे संबंधित को कारण बताओ नोटिस/चेतावनी जारी नहीं किया गया था।

(03) नोटशीट कमांक 16 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 10.07.2014 से दिनांक 19.07.2014 तक जिला धमतरी, कांकेर, बालोद, कोण्डागांव, जगदलपुर एवं दंतेवाड़ा के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 20 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, चावल के 18 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 02 सेम्पल अमानक पाया गया था। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 21.07.2014 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दंतेवाड़ा के लॉट नंबर–137ए तथा गीदम के गोदाम नं.–05, स्टेक नं.–07 के सेम्पल में ब्रोकन का प्रतिशत 27.50 एवं 28.00 पाया गया जो निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया। श्री कुशवाहा द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से दिनांक 21.07.2014 को प्रस्तुत किया गया था। श्री कुशवाहा द्वारा नोटशीट में यह भी उल्लेखित किया गया था कि उनके द्वारा दंतेवाड़ा केन्द्र के कुआकोण्डा में लॉट नं.–169 एवं 251 के चावल की क्वालिटी अमानक होने के कारण रिप्लेस करने हेतु कनिष्ठ तकनीकी सहायक को निर्देशित किया गया है, किन्तु इस संबंध में श्री कुशवाहा द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री संदीप अग्रवाल द्वारा अमानत स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक दंतेवाड़ा को पत्र भेजा जाना तथा संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित करते हुए नस्ती प्रबंध संचालक श्री टुटेजा के समक्ष दिनांक 22.07.2014 को प्रस्तुत की गई। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक पाये गये चावल के रिप्लेसमेंट हेतु जिला प्रबंधक दंतेवाड़ा को पत्र कमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14/302 दिनांक 23.07.2014 एवं हरमेन्द्र शांडिल्य कनिष्ठ तकनीकी सहायक दंतेवाड़ा को कारण बताओ नोटिस कमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2013–14 /303 दिनांक 23.07.2014

जारी किया गया था। जिला प्रबंधक दंतेवाड़ा द्वारा अमानक चावल रिप्लेसमेंट की जानकारी पत्र कमांक– सा.वि.प्र./उपार्जन/2014–15/263 दिनांक 12.08.2014 के द्वारा दी गई थी। कारण बताओ नोटिस के संबंध में हरमेन्द्र शांडिल्य का स्पष्टीकरण मुख्यालय को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(04) नोटशीट कमांक 18 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 22.07.2014 से दिनांक 30.07.2014 तक जिला रायपुर, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव एवं बलौदा बाजार के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 13 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक नस्ती में उपलब्ध है।

(05) नोटशीट कमांक 19 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 04.08.2014 से दिनांक 08.08.2014 तक जिला गरियाबंद, दुर्ग, बालोद एवं धमतरी के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 10 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 07.08.2014 एवं 11.08.2014 नस्ती में उपलब्ध है।

(06) नोटशीट कमांक 20 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 12.08.2014 से दिनांक 14.08.2014 तक जिला कांकेर, नारायणपुर, जगदलपुर एवं कोण्डागांव के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 10 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 19.08.14 एवं 22.08.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(07) नोटशीट कमांक 21 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 28.08.2014 से दिनांक 03.09.2014 तक जिला राजनांदगांव, महासमुंद, बलौदा बाजार, धमतरी एवं गरियाबंद के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 16 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 05.09.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(08) नोटशीट कमांक 22 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 08.09.2014 से दिनांक 12.09.2014 तक जिला बालोद, बेमेतरा, रायपुर, धमतरी एवं दुर्ग के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 13 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 15.09.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(09) नोटशीट कमांक 23 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 18.09.2014 से दिनांक 25.09.2014 तक जिला कांकेर, कोण्डागांव, बीजापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, बलौदा बाजार एवं महासमुंद के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 16 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण

मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 26.09.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(10) नोटशीट कमांक 25 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 07.10.2014 से दिनांक 16.10.2014 तक जिला रायपुर, बालोद, गरियाबंद, बेमेतरा, महासमुंद, धमतरी एवं राजनांदगांव के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 22 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, जिसमें चावल के 21 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 01 सेम्पल अमानक पाया गया था। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 13.10.2014 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा जिला गरियाबंद के देवभोग के गोदाम नं.–03 स्टेक नं.–04 लॉट नंबर–3118 के सेम्पल में डेमेज्ड तथा डिस्कलर प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया। श्री कुशवाहा द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से दिनांक 20.10.2014 को प्रस्तुत किया गया था। श्री संदीप अग्रवाल द्वारा अमानत स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक गरियाबंद को पत्र भेजन दिये जाने का उल्लेख करते हुए संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओ नोटिस भेजा जाना प्रस्तावित करते हुए नस्ती प्रबंध संचालक श्री टुटेजा के समक्ष दिनांक 21.10.2014 को प्रस्तुत की गई। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक पाये गये चावल के संबंध में श्री माखन लाल भट्ट कनिष्ठ तकनीकी सहायक (सविदा) गरियाबंद कारण बताओ नोटिस कमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014–15/503 दिनांक 27.10.2014 जारी किया गया था। जिला प्रबंधक गरियाबंद द्वारा अमानक चावल रिप्लेसमेंट की जानकारी पत्र कमांक– स्था./2014/1119 दिनांक 11.11.2014 के माध्यम से दी गई थी। कारण बताओ नोटिस के संबंध में माखन लाल भट्ट का स्पष्टीकरण मुख्यालय को अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। श्री कुशवाहा द्वारा नोटशीट में यह भी उल्लेखित किया गया था कि बेमेतरा जिले के राखीजोबा केन्द्र पर लॉट नं.–2917 में जिन बारदानों का उपयोग किया गया था उसमें बिहार सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन का मार्का लगा है। अतः उसे रिजेक्ट करने का लिखित निर्देश दिया गया है। मुख्यालय द्वारा इस घटना की पुनरावृत्ति न होने के संबंध में जिला प्रबंधक बेमेतरा को पत्र कमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014–15/506 दिनांक 28.10.2014 भेजा गया था।

(11) नोटशीट कमांक 26 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 21.10.2014 एवं 27.10.2014 से दिनांक 31.10.2014 तक जिला महासमुंद, कांकेर, दुर्ग, रायपुर एवं बलौदा बाजार के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 16 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 22.10.14, 29.10.14 एवं 31.10.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(12) नोटशीट कमांक 28 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 07.11.2014 से 14.11.2014 तक जिला गरियाबंद, बालोद, कोण्डागांव, जगदलपुर एवं महासमुंद के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 13 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल

मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 10.11.14 एवं 17.11.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(13) नोटशीट कमांक 30 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 21.11.2014 से 26.11.2014 तक जिला राजनांदगांव, धमतरी, बलौदा बाजार एवं रायपुर के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 12 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 24.11.14 एवं 27.11.14 नस्ती में उपलब्ध है।

(14) **रायपुर संभाग चावल निरीक्षण नस्ती/क्य.सी./001/वर्ष 2014-15 के** नोटशीट कमांक 01 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के आदेशानुसार दिनांक 09.12.2014 को भाटापारा केन्द्र का निरीक्षण कर तीन स्टेक के सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय के प्रयोगशाला में करा कर निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण प्रतिवेदन नोटशीट दिनांक 12.12.2014 में माध्यम से कंपनी सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। मुख्यालय में 03 स्टेक के 03 सेम्पल का परीक्षण किया गया। सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 10.12.2014 नस्ती में उपलब्ध है। अज्ञात राईस मिलर्स से प्राप्त शिकायत जिसमें क्यू.आई. रविन्द्र जगत द्वारा चांवल जमा कराने में पैसे मांगे जाने के आरोप थे। उक्त आरोप के आधार पर कंपनी सचिव के निर्देशानुसार भाटापारा केन्द्र का निरीक्षण किया गया था, निरीक्षण में कोई रिजेक्टेड लॉट गोदाम में नहीं पाया गया था।

(15) नोटशीट कमांक 02 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 13.12.2014 से दिनांक 30.12.2014 तक जिला राजनांदगांव, बालोद, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, कांकेर, जगदलपुर, कोण्डागांव, रायपुर, बलौदा बाजार एवं बेमेतरा के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 39 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, जिसमें चावल के 38 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 01 सेम्पल अमानक पाया गया था। अमानक पाये गये चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 27.12.2014 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा जिला बेमेतरा के गोदाम नं.-03, स्टेक नं.-01, लॉट नं.- 4288 एवं 4289 के सेम्पल में ब्रोकन तथा डिस्कलर का प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया। इसका विश्लेषण श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 30.12.2014 को निरीक्षण के दौरान केन्द्र पर ही करने पर प्रथम दृष्टयां अमानक पाये जाने से रिप्लेस हेतु निर्देश देते हुए पत्र दिया गया था। मुख्यालय के विश्लेषण रिपोर्ट में त्रुटिवश दिनांक 27.12.2014 लिखा है। वस्तुतः मुख्यालय में विश्लेषण दिनांक 02.01.2015 को किया गया था। श्री कुशवाहा द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से दिनांक 02.01.2015 को प्रस्तुत किया गया था। श्री संदीप अग्रवाल द्वारा अमानत स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक बेमेतरा को पत्र भेजा जाना एवं संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना प्रस्तावित करते हुए नस्ती प्रबंध संचालक श्री टुटेजा के समक्ष दिनांक 02.01.2015 को प्रस्तुत की गई। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक पाये गये चावल के

संबंध में श्री महेश्वर लाल सोनवानी कनिष्ठ तकनीकी सहायक बेमेतरा को कारण बताओ नोटिस क्रमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014–15/682 दिनांक 05.01.2015 एवं चावल रिप्लेसमेंट हेतु जिला प्रबंधक बेमेतरा को पत्र क्रमांक– क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014–15/681 दिनांक 05.01.2015 भेजा गया था। जिला प्रबंधक बेमेतरा से रिप्लेसमेंट की जानकारी एवं महेश्वर लाल सोनवानी का स्पष्टीकरण मुख्यालय को दिनांक 10.02.2015 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

(16) नोटशीट क्रमांक 04 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 06.01.2015 से दिनांक 14.01.2015 तक जिला दुर्ग, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव तथा महासमुंद के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 26 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था, जिसमें चावल के 25 सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे तथा 01 सेम्पल अमानक पाया गया था। अमानक पाये गयें चांवल के ऐनालेसिस रिजल्ट दिनांक 09.01.2015 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा हथखोज जिला बालोद के गोदाम नं.–02ए, स्टेक नं.–07, लॉट नंबर–6158 के सेम्पल में ब्रोकन एवं डिहस्क का प्रतिशत निर्धारित मात्रा से अधिक होने से अमानक पाया गया। श्री कुशवाहा द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट एवं मुख्यालय का विश्लेषण पत्रक कंपनी सचिव श्री संदीप अग्रवाल के समक्ष कार्यवाही हेतु नोटशीट के माध्यम से दिनांक 15.01.2015 को प्रस्तुत किया गया था। श्री संदीप अग्रवाल द्वारा अमानत स्तर के चावल रिप्लेस करने हेतु जिला प्रबंधक बालोद को पत्र भेजा जाना एवं संबंधित क्यू.आई. को कारण बताओ नोटिस भेजा जाना प्रस्तावित करते हुए नस्ती प्रबंध संचालक श्री टुटेजा के समक्ष दिनांक 16.01.2015 को प्रस्तुत की गई। प्रबंध संचालक के अनुमोदन के पश्चात् अमानक पाये गये चावल के संबंध में श्री अशोक कुमार कंवर कनिष्ठ तकनीकी सहायक बालोद को कारण बताओ नोटिस क्रमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014–15/715 दिनांक 28.01.2015 जारी किया गया था। अमानक चावल रिप्लेसमेंट हेतु जिला प्रबंधक बालोद को पत्र क्रमांक–क्यू.सी./रि.न./चा.नि.रा./2014–15/701 दिनांक 19.01.2015 भेजा गया था। जिला प्रबंधक बालोद से रिप्लेसमेंट की जानकारी एवं अशोक कुमार कंवर का स्पष्टीकरण मुख्यालय को दिनांक 10.02.2015 तक प्राप्त नहीं हुआ था।

(17) नोटशीट क्रमांक 06 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 17.01.2015 से 31.01.2015 तक जिला धमतरी, महासमुंद, बलौदा बजार, बेमेतरा, रायपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर एवं नारायणपुर के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 26 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 20.01.2015, 23.01.2015, 28.01.2015 एवं 02.02.2015 नस्ती में उपलब्ध है।

(18) नोटशीट क्रमांक 07 के अनुसार श्री कुशवाहा द्वारा दिनांक 04.02.2015 से 07.02.2015 तक जिला गरियाबंद, बालोद, दुर्ग एवं राजनांदगांव के केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी तथा विभिन्न केन्द्रों के चावल के 13 सेम्पल प्रस्तुत किया गया था। सेम्पल का परीक्षण मुख्यालय में किया गया था जो सभी सेम्पल मानक स्तर

के पाये गये थे। निरीक्षण रिपोर्ट एवं विश्लेषण पत्रक दिनांक 07.02.2015 एवं 09.02. 2015 नस्ती में उपलब्ध है।

उपर बताये गये पैराग्राफस में मुख्यालय स्तर पर परीक्षण उपरान्त अमानक पाये गये चावल का लॉट/स्टेक रिप्लेस करने हेतु सबंधित जिला प्रबंधको को पत्र भेजा गया था तथा अमानक स्तर के चावल स्वीकृत करने के संबंध में संबंधित कनिष्ठ तकनीकी सहायको को कारण बताओं नाटिस जारी किया गया था। कार्यालिन दस्तावेजों के अनुसार चावल रिप्लेसमेंट करने की सूचना संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा विलंब से देने अथवा नहीं देने के संबंध में मुख्यालय स्तर पर उनके विरूद्ध तकनीकी कक्ष प्रभारी श्री संदीप अग्रवाल अथवा प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार कनिष्ठ तकनीकी सहायको से कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्राप्त नहीं होने पर संबंधितो के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 19.03.15

(एस०डी० देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ